

कार्यालय का नाम – .....

## ईन्टर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र

क्र.स.:-

दिनांक :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी सुश्री/श्री/श्रीमति .....  
पिता/पत्नि का नाम श्री..... निवासी.....  
तहसील.....विधानसभा क्षेत्र.....जिला.....  
रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या.....ने दिनांक .....  
से दिनांक ..... तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य  
अनुभव सीखने हेतु लगातार इन्टर्नशिप की है। ये उक्त अवधि के दौरान .....  
दिवस अनुपस्थित रहे। यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए  
ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या  
अन्य कानूनों के अन्तर्गत दावा/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर  
कार्यालयाध्यक्ष की मोहर

## इन्टर्नशिप ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र

क्र.स.:-

दिनांक :-

मैं प्रार्थी सुश्री/श्री/श्रीमति .....पिता/पत्नि का नाम  
श्री..... निवासी.....  
जिला.....रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या.....ने  
आज दिनांक .....को इन्टर्नशिप हेतु रोजगार कार्यालय द्वारा  
आवंटित विभाग..... में कार्यालय.....  
...में इन्टर्नशिप हेतु प्रस्तुत हो गया/गई हूँ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर  
(नाम.....)

प्रतिहस्ताक्षर  
कार्यालय/विभाग के अधिकारी

## कौशल प्रशिक्षण ज्वार्डनिंग प्रमाण पत्र

क्र.स.:-

दिनांक :-

मैं प्रार्थी सुश्री/श्री/श्रीमति .....पिता/पत्नि का नाम  
श्री..... निवासी.....  
जिला.....रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या.....  
कौशल प्रशिक्षण पंजीयन संख्या .....ने आज दिनांक .....  
को कौशल प्रशिक्षण हेतु राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा  
आवंटित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र .....में  
कौशल प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हो गया/गई हूँ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर  
(नाम.....)

प्रतिहस्ताक्षर  
प्रभारी  
कौशल प्रशिक्षण केन्द्र

कौशल प्रशिक्षण केन्द्र – .....

**कौशल प्रशिक्षण उपस्थिति प्रमाण**

क्र.स.:-

दिनांक :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी सुश्री / श्री / श्रीमति ..... पिता / पत्नि का नाम श्री..... निवासी..... तहसील..... विधानसभा क्षेत्र..... जिला..... रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र..... के पाठ्यक्रम ..... हेतु नियमित उपस्थित होकर कौशल प्रशिक्षण के प्रशिक्षण प्राप्त किया। उक्त अवधि में ये ..... दिवस अनुपस्थित रहे। यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अन्तर्गत दावा / क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर

प्रभारी

कौशल प्रशिक्षण केन्द्र मय मोहर